<><><><><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा– जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना दशकों से उपेक्षित क्षेत्रों को समान अधिकार सुनिश्चित कर रही है।
- केंद्र सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम दो हजार पच्चीस का मसौदा जारी कर दिया है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन– ई पी एफ ओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरे देश में पूर्ण रूप से संचालित है।
- ज़िला स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से कल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया।
- दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है।

<><><><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केन्द्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार, गांवों के लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन की प्राथमिकता के साथ, वर्ष दो हजार चौदह से निरन्तर ग्रामीण भारत के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना कारगर साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक के हालिया अध्ययन का भी उल्लेख किया, जिससे पता चला है कि भारत में ग्रामीण गरीबी दो हजार बारह में लगभग छब्बीस प्रतिशत से घटकर दो हजार चौबीस में पांच प्रतिशत से भी कम हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया।

<><><><><><><><><><>

केंद्र सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम दो हजार पच्चीस का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा है। डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम दो हजार तेईस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अगस्त दो हजार तेईस में मंजूरी दी थी। मसौदा नियमों में डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम दो हजार तेईस के अंतर्गत व्यक्तिगत सहमति लेने, डेटा प्रसंस्करणकर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिकारियों के कामकाज से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्रतिक्रिया गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा कर सकें। मसौदा नियमों पर अपने विचार माय गॉव पोर्टल के माध्यम से अट्ठारह फरवरी तक दिए जा सकते हैं।

<><><><><><><><><><>

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन– ई पी एफ ओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरे देश में पूर्ण रूप से संचालित है। पिछले वर्ष दिसंबर में ईपीएफओ के सभी एक सौ बाइस पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े अड़सठ लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग एक हजार पांच सौ सत्तर करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि इस

प्रणाली के माध्यम से पेंशनभोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन का भुगतान तेजी से और बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे।

<><><><><><><>

ज़िला स्वास्थ्य सोसायटी की ओर से कल जंगलीघाट स्थित खैतान कल्याण मंडपम में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित किए। अपने संबोधन में अर्जुन शर्मा, ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने रोग को मिटाने के लिए प्रारंभिक निदान, लगातार उपचार और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री शर्मा ने कहा कि टीबी के बारे में जागरूकता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने से रोग की व्यापकता को काफी हद तक कम किया जा सकता है और रोगी के परिणामों में सुधार किया जा सकता है। ज़िला उपायुक्त ने बताया कि इस पहल के तहत इकतालीस निक्षय मित्र पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं और वर्तमान में दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत एक सौ तैंतीस टीबी रोगियों को गोद लिया गया है। उन्होंने लोगों को निक्षय पोर्टल के माध्यम से निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण करके योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को टीबी रोगियों को अपनाने और टीबी की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी खुद को निक्षय मित्र के रूप में पंजीकृत किया है और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोगियों को गोद लिया है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने जिले भर में लगातार अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाकर अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य अनधिकृत संरचनाओं को हटाना और सरकारी भूमि तथा सार्वजनिक स्थानों को बेईमान तत्वों द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराना है। हाल ही में एक अभियान के तहत, हटबे गांव में अस्थायी ढांचा के रूप में दो अनधिकृत अतिक्रमणों को राजस्व अधिकारियों द्वारा हटाया गया। कुल तीन सौ वर्ग मीटर सरकारी भूमि को खाली कराया गया। सरकारी भूमि को अनधिकृत निर्माणों से बचाने के अपने प्रयासों में प्रशासन सतर्क है। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि कि वे अतिक्रमण की किसी भी घटना की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष या व्हाट्सएप्प नम्बर पर दें।

<><><><><><><>

मध्य अंडमान वन प्रभाग की ओर से कदमतला में एक प्रकृति व्याख्या केंद्र और जरावा गेट नंबर तीन पर पक्षी सह प्रकृति ट्रेल स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक डॉ ए अनिल कुमार, ने रंगत के पंचायत समिति प्रमुख सीता माझी, और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रतो बसु की उपस्थिति में किया। उद्घाटन के दौरान प्रभागीय वन अधिकारी डॉ अब्दुल कयूम ने पर्यावरण जागरूकता, संरक्षण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के अलावा मध्य अंडमान के इको टूरिज्म सर्किट में एक और खंड जोड़ने के लिए इन पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला। इको टूरिज्म पहल से आस–पास के क्षेत्रों के आजीविका के अवसरों में सुधार पर सीधा असर पड़ेगा। सूचना केंद्र को आगंतुकों और स्थानीय लोगों को क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के बारे में शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्थानीय वनस्पतियों और जीवों पर प्रदर्शन, इंटरैक्टिव प्रदर्शन और मॉडल शामिल हैं, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें क्षेत्र के आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से जारवा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका के महत्व को समर्पित एक खंड भी शामिल है। जारवा गेट नंबर तीन पर बर्ड कम नेचर ट्रेल से आगंतुकों को प्रकृति की सैर के माध्यम से एक शानदार अनुभव मिलता है, जिससे उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में पक्षी जीवन और वन्यजीवों का अवलोकन करने का मौका मिलता है। यह ट्रेल सूचनात्मक बोर्ड और अवलोकन बिंदुओं, स्वदेशी झोपड़ियों से सुसज्जित है।

इन सुविधाओं से स्थानीय समुदायों को शैक्षिक अवसर प्रदान कर, प्रकृति को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और स्थायी पर्यटन को प्रोत्साहित करके और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर

डॉ. अनिल कुमार ने पहल की सराहना की और कहा कि यह आगंतुकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है, जो इको–टूरिज्म, गाइडिंग सेवाओं और हस्तशिल्प बिक्री के अवसर पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इन स्थलों के विकास का उद्देश्य समुदाय और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध बनाना और पर्यटन तथा संरक्षण को बढ़ावा देना है। इन स्थलों की शुरुआत मध्य अंडमान में सतत सामुदायिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण में योगदान देते हुए क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

<><><><><><><>